"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 470] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2017 — कार्तिक 8, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2017

अधिसूचना
सं. 51/2017-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-89/2017/वाक/पांच(158) – राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 24 के उपनियम (4) में, ''31 अक्टूबर, 2017 को या उससे पहले'' अंकों और शब्दों के स्थान पर, ''31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले'' अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 45 के उपनियम (3) में, ''उक्त तिमाही के उत्तरवर्ती'' शब्दों के पश्चात, ''या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विस्तारित की जाए :

परंतु केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) नियम 96 के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

''परंतु यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी

प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाएगा :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में स्वतः प्रारूपित की जाएगी ।'';

(iv) नियम 96क के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे किया जाएगा, अर्थात् :--

''परंतु यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाएगा :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में स्वतः प्रारूपित की जाएगी ।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10- 89/2017/वाक/पांच(158). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-89/2017/वाक/पांच(158), दिनांक 28-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 28th October 2017

NOTIFICATION
No. 51 /2017 – State Tax

No. F-10-89/2017/CT/V (158). — In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of issue of this notification.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, -

(i) in rule 24, in sub-rule (4), for the words, figures and letters "on or before 31st October, 2017", the words, figures and letters "on or before 31st December, 2017" shall be substituted;

(ii) in rule 45, in sub-rule (3), after the words "succeeding the said quarter", the words "or within such further period as may be extended by the Commissioner by a notification in this behalf:

Provided that any extension of the time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner." shall be inserted;

(iii) in rule 96, in sub-rule (2), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that where the date for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 for a tax period has been extended in exercise of the powers conferred under section 37 of the Act, the supplier shall furnish the information relating to exports as specified in Table 6A of FORM GSTR-1 after the return in FORM GSTR-3B has been furnished and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the Customs:

Provided further that the information in Table 6A furnished under the first proviso shall be auto-drafted in FORM GSTR-1 for the said tax period.";

(iv) in rule 96A, in sub-rule (2), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that where the date for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 for a tax period has been extended in exercise of the powers conferred under section 37 of the Act, the supplier shall furnish the information relating to exports as specified in Table 6A of FORM GSTR-1 after the return in FORM GSTR-3B has been furnished and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the Customs:

Provided further that the information in Table 6A furnished under the first proviso shall be auto-drafted in FORM GSTR-1 for the said tax period."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.